विभागीय पौधशाला से पौधों की खरीद की प्रक्रिया

1. योजना में शामिल होने की पात्रता :–

योजना के अन्तर्गत राज्य के आमजन वन विभागीय पौधशाला से निर्धारित विभागीय दर पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे खरीद सकते है।

2. विभागीय पौधों की उपलब्धता एवं क्रय की प्रक्रियाः–

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के किसी भी विभागीय पौधशाला से 100 से कम संख्या में पौधों को निर्धारित विभागीय दर पर प्राप्त किया जा सकता है। विभागीय पौधो का बिक्री दर छोटा टयूब के पौधों के लिए 5 रूपये, बड़े टयूब के पौधों के लिए 10 रूपये तथा स्टम्प पौधे हेतु 10 रूपये निर्धारित है। विभागीय पौधशालाओं में उपलब्ध छोटे ट्यूब के पौधे एवं बड़े ट्यूब के पौधे वर्षात् (माह जुलाई–अगस्त) में लगाये जाते है जबकि स्टम्प पौधे वसंत काल (माह फरवरी) में लगाये जाते है। स्टम्प पौधे मुख्यतः सागवान, शीशम, गम्हार, अर्जुन, सेमल प्रजातियों के ही प्राप्त होते है।

विभागीय पौधशालाओं में फलदार, फूलदार एवं इमारती लकड़ी हेतु विभिन्न प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं फलदार पौधों में ऑवला, कटहल, जामुन, शरीफा, अमरूद आदि उपलब्ध है। फूलदार पौधों में गोल्डमोहर, जकरन्डा, अमलतास, अशोक के पौधे उपलब्ध है। इमारती प्रजातियों के सागवान, शीशम, कालाशीशम, महोगनी, यूकिलिप्टस, गम्हार, एकेसिया, चह, अर्जुन, कदम्ब, सेमल आदि प्रजातियों के पौधे उपलब्ध है। एकेसिया, कदम्ब, शीशम के पौधे 15 से 20 साल में परिपक्व हो जाते है जबकि महोगनी, सागवान आदि प्रजातियों के पौधे 30 से 40 वर्ष में परिपक्व होते है। विभागीय पौधशालाओं में पौधों की उपलब्धता की जानकारी आवदेन भरते वक्त भी देखी जा सकती है अथवा विभागीय वेबसाईट http://forest.bih.nic.in पर जनप्रतिवेदन के अन्तर्गत ई–नर्सरी को खोलकर देखी जा सकती है।

3. आवेदन कैसे करें।

पौधों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय या संबंधित जिला के वनप्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में सादे कागज पर आवेदन किया जा सकता है तथा पौधशालाओं में पौधों की उपलब्धता की जानकारी लेकर राशि का भुगतान करते हुए पौधे प्राप्त किये जा सकते है। विभागीय वेबसाईट के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है तथा ऑनलाईन आवेदन के साथ ऑनलाईन भुगतान भी किया जा सकता है। भुगतान की रसीद को प्रिंट करके सम्बंधित नर्सरी प्रभारी से पौधों को प्राप्त किया जा सकता है अन्यथा Online भुगतान नहीं करने के स्थिति में ऑनलाईन आवेदन की प्राप्ति रसीद प्रिन्ट कर स्थानीय पौधशाला प्रभारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को नगद भुगतान कर पौधे प्राप्त किये जा सकते है। क्रय किये गये पौधों को पन्द्र दिनों के अन्दर पौधशालाओं से प्राप्त कर लेना अनिवार्य है।

पौधारोपण से सम्बंधित विस्तृत जानकारी स्थानीय वन विभागीय वन क्षेत्र कार्यालय/पौधशाला प्रभारी से प्राप्त किया जा सकता है। क्रय किये गये पौधों को पन्द्रह दिनों के अन्दर पौधशालाओं से प्राप्त कर लेना अनिवार्य है।

Online Apply

Click Here

http://forestonline.bih.nic.in/onlineapply/registrationform.aspx